न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 434/2018

सी0 आई0 एस0 634/2018

सिपाही यादव वगै0.....वादीगण।

बनाम्

कपिलदेव यादव वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

08.01.2024 उभय पक्ष की हाजिरी है। वादी जीउत यादव के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक–15.04.2021 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये उनके विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि टाइपिस्ट की गलती एवं निर्देश के अभाव में अर्जी में कुछ त्रुटि हो गई है जो सामान्य प्रकृति का है तथा उसके संशोधन से मुकदमा के प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि आवेदन के अनुसार संशोधन करने का आदेश दिया जाये।

प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 09.05.2022 को दाखिल प्रतिउत्तर में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वादी का आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है, बल्कि गलत बयान के आधार पर दाखिल है। वादी ने यह वर्तमान मुकदमा सर्वे खतियान के आधार पर बंटवारा के लिए दाखिल किया है जिसमें सही तथ्य चकबंदी को छिपा दिया था तथा मुकदमा दफा 35 चकबंदी अधिनियम से बाधित है तथा उक्त अर्जी संशोधन से मुकदमा का प्रकृति बदल जाता है तथा अनुरोध करते हैं कि वादी का अर्जी संशोधन आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

<u>लगातार</u>
08.01.2024

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा अभी वर्तमान वाद शेष प्रतिवादीगण के बयान तहरीरी हेतु लम्बित है। उक्त संशोधन आवेदन औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है तथा न्याय निर्णयन में सहायक प्रतीत होता है। चूंकि वादी द्वारा यह संशोधन आवेदन विलम्ब से दाखिल किया गया है। अतः वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक– 15.04.2021 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 को मो0 एक हजार रूपये के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि खर्चे की अदायगी पश्चात आवेदनानुसार अर्जी में संशोधन करें। कार्यालय संशोधन पश्चात सरिस्तेदार से कोर्ट फीस के सम्बंध में प्रतिवेदन की मांग करें।

दिनांक–14.03.2024 वास्ते बयान तहरीरी।

लेखापित

ह0/–

(राकेश कुमार राकेश)
सब जज प्रथम, डुमरॉव ।